संख्या- 276 /2024/ 1147 /002-E-1877648

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद,

सीतापुर, जनपद-सीतापुर/गुलावठी एवं अनूपशहर, जनपद-बुलन्दशहर/

सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद/खेकड़ा, जनपद-बागपत/जलेसर जनपद-एटा।

नगर विकास अनुभाग- 9 **लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यो/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-870/न0पा0परि0गु0/2024-25, दिनांक-04.11.2024, पत्रांक-1124/ न0पा0परि0अ0/2024-25, दिनांक-09.11.2024, पत्रांक-518/एम0बी0एस0/2024-25, दिनांक-09.11.2024, पत्रांक-1014/सा0प्र0/2024-25, दिनांक-09.11.2024, पत्रांक-1412/न0पा0परि0खे0/2024-25, दिनांक-18.11.2024 एवं पत्रांक-363/न0पा0परि0-जले0/2024-25, दिनांक-29.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव **कुल लागत धनराशि रू0 606.19 लाख (रूपये छः करोड़ छः लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किशत की कुल धनराशि रू0 297.96 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानवे लाख छियानवे हजार मात्र)** अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिका परिषद सीतापुर जनपद सीतापुर	1. मो0 बुद्धनगर वार्ड हुसैनगंज में रामऔतार भार्गव के मकान से अनिल गुप्ता के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	24.55		
		2. मो0 इस्माइलपुर वार्ड नं0 2 में चन्द्रशेखर वार्ड मेम्बर के मकान से मथुरा राठौर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.88		
		3. मो0 लोनियनपुरवा पूर्वी में गौशाला मन्दिर के पास से आशीष सिंह के मकान से माया राम के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	17.98		
		4. मो0 हुसैनगंज में माँ शेरावाली ज्वैलर्स से नबी अहमद के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.64		
		5. मो0 आर्यनगर में दीपक के घर से जगदीश के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.44		
		6. नगर पालिका परिषद सीतापुर जिला सीतापुर में 40 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	23.20		
		योग	**98.69**	**98.69**	**49.34**
2	नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर	1. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 14 में सियाराम स्कूल से मन्दिर होते हुए राजेन्द्र के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	33.10		
		2. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 14 में राजेन्द्र के मकान से ट्रांसफार्मर तक सी0सी0 सड़क व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य।	19.86		
		3. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 14 में डा0 धर्मपाल के मकान से चौ0 सेन्सरपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.82		
		4. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 14 मौ0 श्यौदत्त में रेखा वाली गली में सी0सी0 सड़क व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य ।	8.75		
		5. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 14 में पीपल के पेड़ से मेघ सिंह की गली तक सी0सी0 सड़क व दोनों ओर नाली निर्माण कार्य।	18.17		
		6. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 07 में ताज मस्जिद से जी0टी0 रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.24		
		7. जलभराव रोकने हेतु वार्ड सं0 19 में ओमकार के मकान से रोशनलाल के मकान एवं बैजन्ती अग्रवाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.81		
		योग	**102.75**	**100.00**	**50.00**
3	नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर	1. वार्ड सं0 01 मौ0 देहली द्वार में रामू पेन्टर के मकान से विमल के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	4.24		
		2. वार्ड सं0 01 मौ0 देहली गेट में जाटव धर्मशाला से हरिशंकर की दुकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	3.78		
		3. वार्ड सं0 04 मौ0 मदार गेट में रैदास के मकान से लक्खी के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	6.88		
		4. वार्ड सं0 04 मौ० मदार गेट में रामकिशन के मकान से कालू के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	3.89		
		5. वार्ड सं0 04 मौ० मदार गेट में सुरजीत के मकान से सतीश के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	2.22		
		6. वार्ड सं0 04 मौ० मदार गेट में कनुआ के मकान से रामचन्द्र मास्टर के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	2.72		
		7. वार्ड सं0 04 मौ0 मदार गेट में राजा के मकान से इन्द्रजीत के मकान तक नाली व सी०सी० सडक का निर्माण कार्य	2.87		
		8. वार्ड सं0 04 मौ0 मदार गेट में नरेश के मकान से होते हुए जितेन्द्र बाल्मीकि के मकान तक विनेश से अनिल बाल्मीकि के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	10.17		
		9. वार्ड सं0 04 मौ० मदार गेट में दामोदर के मकान से निक्की भगत जी के मकान तक सी०सी० रोड, नाले पर पुस्ता व स्लेव का निर्माण कार्य	5.36		
		10. वार्ड सं0 07 मौ0 जामा मस्जिद में डल्ला जाटव के मकान से कलां बाजार तक नाली व सी०सी० सडक का निर्माण कार्य	16.15		
		11. वार्ड नं0 10 मौ० मोरी गेट में जयपाल सिंह के मकान से बसन्त लाल मेम्बर से होते हुए राजपाल सिंह के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	3.69		

		12. वार्ड सं0 11 मौ0 मोरी गेट में बच्चन जाटव के मकान से त्रिलोकी जाटव के मकान से होते हुए देवेन्द्र सिंह की दुकान तक नाली व सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	12.03		
		13. वार्ड सं0 12 मौ0 देहली द्वार में बाल्मीकि पार्क से मुन्नी देवी के मकान/ट्रान्सफार्मर तक नाली व सी0सी0 सड़क व दोनों साईड में इण्टरलोक पटरी का निर्माण कार्य।	15.11		
		14. वार्ड सं0 15 मौ0 मीरा में कलवा के मकान से अशोक सूफी की दुकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	9.07		
		योग	**98.18**	**98.18**	**49.09**
4	नगर पालिका परिषद सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद	1. वार्ड नं0 20 कुन्जपुरा मार्ग पर रॉयल इन फील्ड एजेन्सी से सनद कुमार जैन के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का उच्चीकरण का कार्य।	7.40		
		2. वार्ड नं0 23 सराय मोहनगंज में सुनील यादव के मकान से कृष्णा गार्डन मैरिज होम के गेट तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का उच्चीकरण का कार्य।	10.77		
		3. वार्ड नं0 07 दक्षिणी मोहनगंज में दिलीप के घर से सन्तोष के घर तक एवं कालीचरन वाली गली में सी0सी मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	17.41		
		4. वार्ड नं0 13 सोथरा/इटावा रोड में नरसिंग ग्लोबल स्कूल के पीछे माधव के मकान से पंकज के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	16.03		
		5. वार्ड नं0 13 सोथरा/इटावा रोड में नरसिंग ग्लोबल स्कूल के पीछे सूरज सिंह के मकान से सी0सी0 मार्ग तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	14.11		
		6. वार्ड नं0 20 कुन्जपुरा रोड में शंकर कालौनी में पंकज शर्मा के मकान से कैलाश तिवारी के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.19		
		7. वार्ड नं0 09 खेमगंज में वनखण्डेश्वर रोड पर पवार वाली गली में सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.49		
		8. वार्ड नं0 16 गजाधर गली में विनोद के मकान से अशोक के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.20		
		9. वार्ड नं0 13 सोथरा रोड पर नरेन्द्र फौजी के मकान से अशोक शाक्य के मकान तक एवं राजू दुवे के मकान से भगवान श्री के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.03		
		10. वार्ड नं0 14 सिरसारोड में राकेश के मकान से सुनील पण्डित के प्लाट से बृजेश के प्लाट तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	10.77		
		योग	**107.40**	**100.00**	**50.00**
5	नगर पालिका परिषद, खेकड़ा, जनपद-बागपत	1. वार्ड नं0 22 में काठा रोड बसी नाले की पुलिया से रामलीला मैदान के बांयी ओर सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	39.97		
		2. वार्ड नं0 22 में काठा रोड बसी नाले की पुलिया से रामलीला मैदान के दांयी ओर सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	39.97		
		3. रामलीला मैदान के सामने दाहिनी एवं बाई ओर इंटरलाकिंग द्वारा साइड पटरी का निर्माण कार्य।	20.16		
		योग	**100.10**	**100.00**	**50.00**
6	नगर पालिका परिषद, जलेसर जनपद-एटा	1. जे0 के0 एम0 मॉल से धानमील साइट सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	37.63		
		2. जे0 के0 एम0 मॉल से बाल्मीकि मन्दिर तक डिवाइडर निर्माण कार्य।	11.37		
		3. जे0 के0 एम0 मॉल से धानमील दूसरी साइट सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	29.46		
		4. बाईपास रोड पर दरगाह से ट्रांसफार्मर तक नाली निर्माण कार्य।	1.52		
		5. नगर पालिका परिषद जलेसर में सोलर लाईट पोल, लिथियम बैटरी सहित लगाये जाने का कार्य।	19.07		
		योग	**99.07**	**99.07**	**49.53**
	कुल योग (नगर पालिका परिषदः अनुदान सं0-83)		**606.19**	**595.94**	**297.96**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन/कार्य स्थल पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) अधिशासी अधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हों।

(7) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(11) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(15) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।

(16) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।

(18) 'सेंटेज चार्जेज निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अत: शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(20) योजनान्तर्गत वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(21) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग **दिनांक 31.03.2025 तक** सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(22) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(23) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(24) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(25) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(26) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 297.96 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानवे लाख छियानवे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890402 नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-9-342-X-2024-25, दिनांक-18 दिसम्बर, 2024** मे प्राप्त वित विभाग की सहमति से निर्गत किये जा है।

भवदीय,
18.12.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या-276(1) /2024/ 1197 /002-E-1877648, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-सीतापुर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, बागपत, एटा।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
18.12.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-18/12/2024

प्रेषण संख्या:- 276
आवंटन आदेश संख्या:- 001-276-2024-1147-002-E-1877648
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9909000 14908000	9909000 14908000
2	एटा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4953000 4953000	4953000 4953000
3	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4934000 4934000	4934000 4934000
4	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
5	बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	29796000 34795000	29796000 34795000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्तानवे लाख छियानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सैंतालीस लाख पंचानवे हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव